

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

12 स्थानों पर होगा आज टीकाकरण

रतलाम 01 अगस्त। रतलाम नगर में कोरोना वैक्सीनेशन किये जाने हेतु 2 अगस्त सोमवार को 6 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर कोविशिल्ड का प्रथम डोज सिर्फ ऑन स्पॉट बुकिंग रतलाम शहरी क्षेत्र हेतु (टोकन वितरण)ए 2 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर कोविशिल्ड सेकेण्ड डोज रतलाम शहरी क्षेत्र हेतु (टोकन वितरण)ए 1 वैक्सीनेशन सेन्टर पर कोविशिल्ड प्रथम डोज सिर्फ चिन्हित हितग्राहियों हेतुए 1 वैक्सीनेशन सेन्टर पर कौवैक्सिन सिर्फ सेकेण्ड डोज हेतु (टोकन वितरण) व 2 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर कौवैक्सिन सिर्फ शहरी क्षेत्र के लोगो हेतु प्रथम डोज (टोकन वितरण) नियत किया गया है जहां प्रातः 9 बजे से निःशुल्क टीकाकरण किया जायेगा।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों से अपील की है प्रथम व द्वितीय डोज हेतु नियत वैक्सीनेशन सेंटर पर आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर टीका लगवाये।

कोविशिल्ड का प्रथम डोज सिर्फ ऑन स्पॉट बुकिंग रतलाम शहरी क्षेत्र हेतु शिवनगर प्राथमिक स्कूलए रेडक्रॉस भवन बिरियाखेड़ीए अशोक नगर जामिया समरूल वारिफ मदरसाए डीआरएम ऑफिस दो बत्तीए काश्यप सभागृह सागोद रोडए ऑनर्स एकेडमी स्कूल दिलीप नगर रोड बजरंग नगरए कोविशिल्ड सेकेण्ड डोज रतलाम शहरी क्षेत्र हेतु (टोकन वितरण) कम्युनिटी हॉल अलकापुरी व माहेश्वरी धर्मशाला कसारा बाजारए कोविशिल्ड प्रथम डोज सिर्फ चिन्हित हितग्राही नया कलेक्टर कार्यालय (सिर्फ विदेश जाने वालों व अधिकारी कर्मचारियों के लिए)ए कौवैक्सिन सिर्फ सेकेण्ड डोज हेतु (टोकन वितरण) आईएमए हॉल राजेन्द्र नगरए कौवैक्सिन सिर्फ शहरी क्षेत्र के लोगो हेतु प्रथम डोज (टोकन वितरण) रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा व लायंस हॉल पावर हाउस रोड पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाये गये है।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

1 अगस्त को 54 टन कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 01 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 01 अगस्त रविवार को 54 टन कचरा जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

01 अगस्त रविवार को डम्पर से 27945ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 15115ए काम्पेक्टर गीला कचरा 9900ए मैजिक 1330 किलो इस तरह कुल 54290 किलो कचरा जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 4 व्यक्तियों पर जुर्माना जुर्माने के रूप में 1050 की राशि वसूली

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 01 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 01 अगस्त को 4 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारीए झोन प्रभारी व स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर राठौड़ रेस्टोरेंट कालेज रोड पर 500ए गोपाल मौर्य पावर हाउस रोडए बट्टीलाल सैलाना बस स्टैण्ड व दिनेश हाट रोड पर 250.250 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की

कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह एरुन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाडे एरु किरण चौहान एरु विनय चौहान द्वारा की गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि षहर को गंदा करने वाले नागरिकों एरु दुकानदारों आदि की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930 एरु एरुन प्रभारी श्री पर्वत हाडे मो. नं. 7471144931 एरु श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932 एरु श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145 एरु श्री विराट मेहरा 9770326691 एरु स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456 एरु पवन झांझोट मो.नं. 7000128812 एरु आकाष षिन्दे मो.नं. 9424075393 एरु 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110 एरु राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

आज से 10 उचित मूल्य की दुकानों पर बनेगें आयुष्मान कार्ड

नगर निगम द्वारा अब तक 4746 आयुष्मान कार्ड बनाये गये

रतलाम 01 अगस्त। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत षनिरामयम' ' योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड वार्डों की उचित मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं।

02 अगस्त सोमवार से कमर्शियल प्राथमिक उपभोक्ता भंडार अटैच दुकान गणेश प्राथमिक उपभोक्ता भंडार बिरयाखेड़ी एरु जूनियर प्राथमिक उपभोक्ता भंडार अटैच दुकान नवदुर्गा प्राथमिक उपभोक्ता भंडार आनंद कॉलोनी एरु सीनियर प्राथमिक उपभोक्ता भंडार अटैच दुकान अंबिका प्राथमिक उपभोक्ता भंडार थावरिया बाजार एरु गंगोत्री महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार अटैच दुकान दुर्गा महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार जाटों का वास एरु चेतना प्राथमिक उपभोक्ता भंडार रामगढ़ एरु जनता प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सुभाष नगर 98 हाट की चौकी एरु फ्रेंड्स प्राथमिक उपभोक्ता भंडार अटैच दुकान केशव प्राथमिक उपभोक्ता भंडार एरु भारतीय प्राथमिक उपभोक्ता भंडार अटैच दुकान महालक्ष्मी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार ईदगाह रोड एरु माधव प्राथमिक उपभोक्ता भंडार शक्तिनगर तथा श्रद्धा प्राथमिक उपभोक्ता भंडार

अटैच दुकान पद्मावती प्राथमिक उपभोक्ता भंडार प्रताप नगर पर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे।

उचित मूल्य की दुकानों पर शिविर आयोजित कर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य के तहत 31 जुलाई शनिवार तक 2203 पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 4746 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडीए आधार कार्डए खाद्यन्न पात्रता पर्ची के साथ उक्त उचित मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

पथ विक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त निगम के झोन कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 01 अगस्त । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है कि नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10ए000६ का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए डॉ० अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्डए अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नगर निगम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये

आपदा प्रबंधन हेतु निगम ने किये व्यापक प्रबंध

रतलाम 01 अगस्त । अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लिए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद किया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत जीर्ण-शीर्ण भवनों को चिन्हित किया जाकर भवन स्वामी को नोटिस दिये जाने तथा क्षतिग्रस्त पुलियाओं को चिन्हित कर रेडियम लगाने के निर्देश के साथ जल प्लावन रोकने तथा पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने वाले नाला एवं नालियों के अतिक्रमण चिन्हित कर हटाये जाने तथा शहर के नाले नालियों एवं बाल के चेम्बरों पर लगे ढक्कन व फर्सी इत्यादि खुली न रहे इसकी व्यवस्था किये जाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग एवं कर्मशाला विभाग को सौंपी है।

अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके तहत गांधीनगर कम्युनिटी हॉल पर श्री विशाल भटनागर मो० नं० 9300885504ए ईश्वर नगर विद्यालय भवन पर श्री मुकेश मेहता मो० नं० 9629647211ए शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री विजय अग्रवाल मो० नं० 9907454456ए अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश सिंह सेंगर मो० नं० 7697052031ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप उपाध्याय मो० नं० 9589944748ए धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री कुलदीप भट्ट मो० नं० 7471144027ए भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेड़ी पर श्री महेश व्यास मो० नं० 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा.विद्यालय सागोद रोड पर श्री सुनील कपूर मो० नं० 9644000433 को नियुक्त किया गया है । आश्रय स्थलों के व्यवस्था की जिम्मेदारी उपयंत्री श्री विकास मरकाम उपयंत्री को सौंपी गई है। जो नियुक्त किये गये कर्मचारियों के सहयोग से समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आपदा प्रबंधन के उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों का आंकलन कर उसके भण्डारण की जिम्मेदारी भण्डार रक्षक को सौंपी है साथ ही वर्षा ऋतु में शुद्ध जल की उपलब्धता एवं वितरण के लिये आवश्यक रसायनों की व्यवस्था एवं उपलब्धता तथा पानी निकालने के लिये पम्प आदि की व्यवस्था किये जाने की जिम्मेदारी प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय को सौंपी है।

जल की समुचित निकासी एवं व्यवस्थित बहाव के लिए आवश्यक व्यवस्था तथा इस हेतु पृथक से दल गठित करना एवं वर्षा काल में सड़ी-गली सब्जी-फल आदि के विनिष्टीकरण की कार्रवाही एवं इस हेतु पृथक से दल गठित करना तथा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे एवं बड़े नाले-नालियों की वर्षा पूर्व समुचित सफाई एवं जल एक स्थान पर एकत्रित न हो इसकी व्यवस्था एवं सार्वजनिक शौचालयों एवं मुत्रालयों की नियमित रूप से साफ-सफाई करवाई जाकर आपदा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक संसाधन एवं कीटनाशक आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्र.स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी गई है। इसके अलावा प्रकाश हेतु टार्च एवं पेट्रोमेक्स एवं तैराक इत्यादि की व्यवस्था के भी निर्देश संबंधित को दिये हैं।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लिये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412.270563 स्थापित कर उपयंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की 8.8 घण्टे की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई।

इसके अलावा नाले नालियों की सफाई एवं वर्षा के जल को बड़े नालों में मिलाना एवं वर्षा का पानी एक स्थान पर एकत्रित होने पर कच्चे नाले-नालियों का निर्माण करना एवं अतिवृष्टि स्थल पर विद्युत लाईन काटने हेतु दल गठित करना एवं आपदा की स्थिति में फायर बिग्रेड दल को सुलभ रखना एवं तैराक की व्यवस्था करने सहित निगम के अन्य वाहनों को कार्यशील अवस्था में रखने के निर्देश संबंधितों को दिये।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 01 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों दुकानदारों व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 01 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर हैल्पर वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर हैल्पर वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर दुकान गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर दुकान गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता

तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 01 अगस्त । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़क गली सार्वजनिक स्थल नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी कचरे के ढेर नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/01०8०2021धन.पा.निगम व रतलाम.